हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020/27 भाद्रपद,1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित का 44वां वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) और

   (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित का 45वां वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर**, **"कुल्लू शहर को NH Left Bank से जोड़ने वाले भूतनाथ पुल की मरम्मत में हो रही देरी"** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री बलबीर सिंह वर्मा**, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "**आठ साल से क्यों नहीं बना 66 के0वी0 सब-स्टेशन** " से उत्पन्न स्थिति की ओर **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :</u>

(1) **श्री नन्द लाल (66-रामपुर),** रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ननखड़ी-कुंगल-बाल्टी सड़क हेतु Drainage की व्यवस्था करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री परमजीत सिंह (52-दून),** दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: निर्माणाधीन पुलों के कार्य में हुए विलम्ब बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर),** पालमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुंगल के बनोड़ु पुल के नजदीक पठानकोट-मण्डी उच्च मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया को पुन: निर्मित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (40-नदौन),** छोटा शिमला नॉल्सवुड नाले में डाली गई सीवरेज पाईप जोकि क्षतिग्रस्त हो चुकी है की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री सुभाष ठाकुर (48-बिलासपुर),** जिला बिलासपुर में ई0आई0ए0 का नियम लागू कर सीर खड्ड तथा अन्य खड्डों से खनिजों के खनन की अनुमति प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** प्रदेश की विभिन्न सरकारी पाठशालाओं में सेवायें प्रदान कर रहे कम्प्यूटर शिक्षकों हेतु नियमितीकरण की नीति बनाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्रीमती आशा कुमारी (4-डलहौजी),** राजकीय महाविद्यालय, सलूणी में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति करने विशेष उल्लेख करेंगी ।

(8) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** प्रदेश में कोविड-19 के दौरान जनसेवा में तत्पर आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री राम लाल ठाकुर (49-श्री नैना देवीजी),** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्री नैना देवीजी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घवांडल में रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति तथा X-Ray की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, "दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3194 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 17 सितम्बर, 2020 सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)